राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.18(आई–5)निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 / 238-275 दिनांक : 4-5-11

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक एफ.8(141)ग्रावि / भू संसा / 2 / 2008 दिनांक 24.06.2009 द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत परियोजना प्रबन्धक, जिला जलग्रहण विकास इकाई को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की स्थानीय शाखा में बचत खाता खोलने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत प्रोजेक्ट फण्ड एवं एस.एल. एन.ए तथा जिला जलग्रहण विकास इकाई के सुदृढ़ीकरण हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता फण्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में भारत सरकार के पत्रांक के–11011 / 2 / 2009–आईडब्ल्यूएमपी(आईएस) दिनांक 04.03.2011 के क्रम में निर्देश दिये जाते है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त प्रोजेक्ट फण्ड एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता फण्ड हेतु एस.एल.एन.ए. एवं डी.डब्ल्यू. डी.यू. स्तर पर पृथक–पृथक बचत बैंक खाते खोले जावें। इन बैंक खातों में केवल भारत सरकार से आई.डब्ल्यू.एम.पी.परियोजना हेतु प्राप्त राशि ही व्यवहत (Transaction) की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131100326 दिनांक 11.04.2011 से अनुमोदित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांकः एफ.18(आई–5)निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2011 /238-275 दिनांक : 4-5-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, डी.डी.पी., भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ब्लॉक नम्बर–11, छठा तल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि एस.एल.एन.ए. स्तर आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत प्रोजेक्ट फण्ड एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता फण्ड हेतु पृथक–पृथक बचत बैंक खाते खुलवाने की कार्यवाही करे।
3. परियोजना प्रबन्धक, जिला जलग्रहण विकास ईकाई, जिला परिषद.........................को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिला जलग्रहण विकास इकाई स्तर पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनान्तर्गत प्रोजेक्ट फण्ड एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता फण्ड हेतु पृथक–पृथक बचत बैंक खाते खुलवाने की कार्यवाही करे एवं बैंक खाता संख्या की सूचना लेखा शाखा को भिजवाना सुनिश्चित करे।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक